

टीप:- साक्षी अमीन मिंज का मुख्य परीक्षण साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया गया है। जिसमें 1 से 03 तक की कंडिकाएं हैं।

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रशांत त्रिपाठी अधिवक्ता, वास्ते अनावेदक क्रमांक 3 /

4— दुर्घटना के समय मैं मृतक के साथ में था। यह कहना सही है कि मैं और युवराज मोटर सायकल में बैठे थे और मृतक मोटर सायकल को चला रहा था। मोटर सायकल मोहन प्रसाद की थी। दुर्घटना मोटर सायकल के पीछे से हुई। यह कहना सही है कि जब दुर्घटना हुआ उस समय मोटर सायकल मुख्य सड़क पर चल रहा था। ट्रक हमारी मोटर सायकल के पीछे-पीछे आ रहा था तथा 40-45 मीटर पीछे था। यह कहना सही है कि ट्रक 40-45 मीटर पीछे था और हम लोग उसके आगे-आगे मुख्य सड़क पर चल रहे थे। यह कहना गलत है कि हम लोग ट्रक वाले के द्वारा साइड देने के बावजूद भी मुख्य सड़क पर तेजी से चल रहे थे। यह कहना गलत है कि ट्रक वाले ने साइड मांगा और हमने साइड नहीं दिया इस कारण दुर्घटना हुई। यह कहना सही है कि मोटर सायकल चालक मोहन की गलती से दुर्घटना हुई थी। यह कहना गलत है कि मैं उक्त मोटर सायकल में नहीं बैठा था।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(एल0पी0एस0 बघेल)
तृतीय मो0दु0दा0अधि0,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

(एल0पी0एस0 बघेल)
तृतीय मो0दु0दा0अधि0,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे०पी० साहू अधिवक्ता, वास्ते अनावेदक क्रमांक 1 /

6— कुछ नहीं।

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विवेक पाण्डेय अधिवक्ता, वास्ते अनावेदक क्रमांक 3 /

7— यह कहना सही है कि मैं बस से उतरकर अपने नाती के लिए भजिया लेने जा रही थी। यह कहना सही है कि भजिया लेने बस के पीछे से जा रही थी। यह कहना सही है कि बस से उतरकर पीछे से जा रही थी तो अचानक लापरवाहीपूर्वक जो दुर्घटना हुई वह मेरे लापरवाही से हुई। स्वतः कहा कि पीकअप की लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मैं अचानक बस के पीछे से दौड़ी तो पीकप को नहीं देख पाई, जिस कारण दुर्घटना हुई। मैं इलाज का बिल प्रकरण में प्रस्तुत कर दी हूँ। यह कहना गलत है कि अभी मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा है। यह कहना गलत है कि मुझे जो चोंटे आई थी वह साधारण प्रकृति की थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि जो मैंने इलाज का बिल प्रस्तुत किया है वह फर्जी है। यह कहना गलत है कि आज मैं झूठा कथन कर रही हूँ। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा प्रकरण बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(एल०पी०एस० बघेल)
तृतीय मो०दु०दा०अधि०,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

(एल०पी०एस० बघेल)
तृतीय मो०दु०दा०अधि०,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)